

## समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक 12.03.2018 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 12.03.2018 को समय सीमा बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें श्रीमति सुरभि गुप्ता अपर कलेक्टर, एवं सभी नगरीय एस.डी.एम. तथा विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे। एन.एच के अधिकारी टी.एल बैठक में उपस्थित रहे इस हेतु पत्र जारी किया जाये, उनके विभाग के 300 दिन से अधिक की शिकायतें लंबित है। जिससे उनके विभाग से संबंधित विषयों की समीक्षा नहीं हो सकी।

1. **विधान सभा :-** वर्तमान में विधान सभा सत्र दिनांक 28 मार्च 2018 तक चलेगा। लंबित विधान सभा प्रश्नों के जवाब समय-सीमा में सभी जिला अधिकारी भेजना सुनिश्चित करें।

2. **समाधान ऑनलाईन :-** आगामी समाधान ऑनलाइन 13 मार्च को शाम 4 बजे से है। इस हेतु चयनित विषय अनुसार विभागवार जानकारी ली गई व समीक्षा की गई। विभागों, द्वारा लापरवाही और उदासीनता बरती जा रही है। जिला अधिकारी स्पष्ट कर लें। आगामी समाधान को ध्यान में रखकर लंबित शिकायतें त्वरित रूप से निपटाएं। चयनित विषय निम्नानुसार हैं :-

**एक-300 दिन से अधिक की लंबित शिकायतें (सभी विभाग) :-** विभागवार समीक्षा की गई। इसमें सर्वाधिक शिकायतें कृषि-36, वन-27, नगरीय प्रशासन-09, आदिम जाति कल्याण-09, पंचायत-09, लोक निर्माण विभाग-20, स्कूल शिक्षा-11, उर्जा विभाग-02, पी.एच.ई.-05, चिकित्सा शिक्षा-08, पशुपालन-05, गृहविभाग-05, महिला बाल विकास-04, लीड बैंक-03, सामाजिक न्याय-04, उद्योग-02 उच्च शिक्षा-02, योजना-02 की समीक्षा में पायी गयी। उक्त सभी विभाग के जिला प्रमुख एक सप्ताह के अंदर अंतिम निराकरण करें।

**दो-कपिल धारा (कूप निर्माण) मेड़ बांधन, खेत, तालाब, भूमि शिल्प, नंदन फल उद्यान (मनरेगा) (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) :-** विभाग प्राथमिकता से ध्यान रखें।

**तीन- नजूल से नामांतरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित (राजस्व विभाग) :-** शहरी क्षेत्र के एस.डी.एम. गंभीरता से लें। अमान्य या मान्य कर निर्णय लें। उक्त कार्यवाही 02-03 दिन में करें।

**चार-पेंशन (विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी) से संबंधित शिकायतें (समस्त विभाग) :-** सभी विभाग प्राथमिकता से ध्यान रखें। श्री सराठे अधीक्षक का पेंशन प्रकरण काफी समय से कौशल

विकास में लंबित है। आगामी टी.एल. के पूर्व प्रकरण पेंशन अधिकारी को भेजें। ताकि पेंशन अधिकारी द्वारा शीघ्र परीक्षण किया जाकर लंबित पेंशन प्रकरण का निराकरण हो सके। तदानुसार प्राचार्य आई.टी.आई. को निर्देश दिए गए। इंजीयनिरिंग कॉलेज व अन्य तकनीकी महाविद्यालयों के प्रकरण आई.टी.आई. प्राचार्य नोडल अधिकारी के रूप में सभी संबंधित से संपर्क कर समन्वय करें। सभी विभागों के लंबित पेंशन प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही की जाने के निर्देश सभी संबंधित को दिए गए।

पाँच— सार्वजनिक हैंडपम्प के निजी अतिक्रमण से संबंधित (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) :- संबंधित विभाग प्राथमिकता से ध्यान रखें।

छः— उपचार न मिलने/ विलम्ब से मिलने /पूर्ण उपचार न मिलने उपचार के उपरांत फॉलोअप न करने संबंधी (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) :- इस विषय से संबंधित शिकायतों पर डीन मेडिकल, सी.एम.एच.ओ. तथा सर्व संबंधित ध्यान देकर सभी लंबित शिकायतों का निराकरण करें।

सात— भू-अर्जन एवं पुनर्वास से संबंधित (जल संसाधन विभाग) :- सभी संबंधित ई.ई.जल संसाधन एन.व्ही.डी.ए. ध्यान देकर पुनर्वास से संबंधित शिकायतों का निराकरण करायें।

3. सी.एम.हेल्प लाइन :- एल-4 में सबसे अधिक कृषि उपज मंडी-146, उर्जा विभाग-70, चिकित्सा शिक्षा-92, वन विभाग-67, आदिवासी विकास-39, लीड बैंक-संस्थागत वित्त-19, लोक शिक्षण-43, कृषि-67, सामाजिक न्याय-52, समस्त जन कल्याणकारी योजनायें-13, राजस्व विभाग-45, नगर निगम-40, खाद्य आपूर्ति-37, कौशल विकास-38, सामान्य प्रशासन विभाग-49, उच्च शिक्षा-13, एकीकृत बाल विकास-19, पी.एच.ई-22, पशुपालन-17, स्वच्छ भारत पंचायत-22, सहकारिता-34, एम.पी.आर.डी.सी.-11, डी.पी.सी.-15, मनरेगा-41, इन्दिरा आवास-13, पेंडिंग शिकायतें समीक्षा में पाई गई। जिसके अतिशीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये।

4. बजट :- पूर्व बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जिला कोषालय अधिकारी समीक्षात्मक विभागवार चार्ट बनाया गया तथा चार्ट अनुसार समीक्षा की गई।

W

सभी शासकीय विभागों को पुनः निर्देश दिए गए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त आबंटन तथा उसके समुचित यूटिलाइजेशन की कार्यवाही पूर्ण की जाए। किसी भी स्थिति में बजट लेप्स न हो। सी.एस. द्वारा बजट पर रिव्यू किया जाना है। टी.ओ. मॉनीटरिंग करें। डी.डी.ओ. अग्रिम आहरण न करें। सीधे एजेन्सी के खातों में पैसे जमा करें। प्रभारी वित्त शाखा कार्यालय कलेक्टर को प्राप्त आबंटन तथा व्यय का विशेष ध्यान रखें। विभागों को प्राप्त आबंटन लेप्स होने पर सभी जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। सभी विभाग वित्तीय वर्ष 2017-18 का अंतिम परीक्षण कर लें। अपने-अपने आबंटन खर्च की स्थिति स्पष्ट कर लें। स्वेच्छानुदान में प्राप्त आबंटन लेप्स न हो योजना अधिकारी को निर्देश दिये गये।

5. **जनसुनवाई :-** जिला स्तर के कार्यालयों में जनसुनवाई में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। सभी कार्यालयों का ए.डी.एम. आकस्मिक निरीक्षण करें। प्राप्त शिकायतों को सी.एम. हेल्पलाइन में दर्ज कराये।
6. **2 जुलाई 2017 का वृक्षारोपण :-** पूर्व बैठक में निर्देश दिए गये थे कि जितना वृक्षारोपण का कार्य हुआ है उसे वन विभाग में सबमिट करें। विभागवार समीक्षा की गई। कई विभागों की जानकारी सबमिट नहीं हुई है। सभी एस.डी.ओ. फॉरेस्ट से चर्चा कर लें। कार्यवाही एक दो दिन में पूरी कर लें। आगामी टी.एल. में समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में एक विधान सभा प्रश्न का जवाब वन विभाग द्वारा भेजा जाना है। वन विभाग द्वारा जिलांतर्गत जानकारी जनअभियान परिषद्, कृषि, उद्यान, योजना मण्डल, व अन्य विभाग से चाही गयी है। उक्त सभी को निर्देश दिये गये कि वन विभाग को तत्काल जानकारी उपलब्ध करायें।
7. **कृषि उपज मंडी :-** पूर्व बैठक में निर्देश दिए गये थे कि कटौती प्रथा बंद करें। किसानों की शिकायत है कि आढ़त काटा जा रहा है एवं भावांतर योजना के भुगतान के कृषि उपज मंडी सचिव को कड़े निर्देश दिए गए। आगामी कार्यवाही लंबित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

W

8. **अनुकम्पा नियुक्ति :-** सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत किए जाएं।
9. **माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणाएं :-** पनागर असंगठित श्रमिकों के आयोजन में अभी तक हुई घोषणाओं के संबंध में पालन हेतु उप-श्रमायुक्त को निर्देश दिए गए। श्री धापानी जिला योजना में पालन हेतु प्रस्तावों की एंट्री कराये। सभी घोषणाओं को सी.एम.पोर्टल से देखें एवं प्राथमिकता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
10. **किसानों को मिले पर्याप्त पानी :-** एन.व्ही.डी.ए. के उपस्थित कार्यपालन यंत्री श्री राजेश सिंघल को तलब किया गया कि जिन किसानों की जमीन के पास से बरगी डेम की नहर गयी है। वे किसान पानी से वंचित क्यों हैं। इस विषय पर जल संसाधन एवं ई.ई.एन.व्ही.डी.ए. सर्वे रिपोर्ट शासन को भेंजे।
11. **गेंहूं पंजीयन :-** 24 मार्च तक गेंहूं का पंजीयन कराने के निर्देश खाद्य नियंत्रक को दिए गये।
12. **दिव्यांगों का पंजीयन :-** पूर्व में निर्देश दिए गये थे कि स्पर्श अभियान में सर्वे हुआ जिसमें जिले के दिव्यांगों का डाटा है। उसी के अनुसार उन्हें वोटर लिस्ट में शत-प्रतिशत शामिल करने के निर्देश जिला उप निर्वाचन अधिकारी को दिए गए। प्रबंधक ई-गवर्नेंस से समन्वय कर दिव्यांगों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराने के निर्देश डॉ. रामनरेश को दिए गए।
- सिहोरा क्षेत्र की एक दिव्यांग जूडो खिलाडी जानकी दिव्यांगों के विश्वकप में भाग लेने टर्की माह अप्रैल में जा रही है। उसकी यात्रा व अन्य खर्च का भार जिले के सभी जिला अधिकारियों द्वारा अपने वेतन का अंश प्रदाय कर किया गया है। जो कि जिले के लिए गौरव की बात है।
13. **पी. एम.ओ. :-** पूर्व बैठक में निर्देश दिए गये थे कि पी.एम.ओ. पोर्टल की शिकायतों का भी निराकरण सुनिश्चित हो। श्री छोटे सिंह अपर कलेक्टर सभी सुरक्षा संस्थानों की लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु सभी जी.एम. से समन्वय करें।

W

14. **राजस्व वसूली :-** राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुपात में कम हुई है। कुछ दिन शेष हैं। अधिकतम प्रयास सभी राजस्व अधिकारी करें। शहरी क्षेत्र में वसूली बढ़ाई जा सकती है। बड़े बकायादारों की सूची अनुसार तेजी से वसूली की जाए। बार बार निर्देशों के बाद भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है जो कि निराशाजनक है। आगामी टी.एल. में सभी एस.डी.एम. बताएं कि कितनी वसूली अनुभागवार हुई है। अगली टी.एल. तक दिया गया वसूली लक्ष्य का 75 % पूरा किया जाए।
15. **रोजगार मूलक योजनाएं :-** जी.एम.डी.आई.सी. एवं लीड बैंक प्रबंधक 19 विभागों का रोजगार मूलक योजनाओं का चार्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया तदनुसार विभाग वार समीक्षा की गई।
16. **एजोला की रोकथाम :-** एजोला की रोकथाम के लिए गत वर्ष की भांति नालों, छोटी नदियों, तालाब बंधान, में जालियां लगाई जायें। प्रचलित कार्यवाही में तेजी लायी जाये। आयुक्त नगर निगम, ई.ई.आर.ई.एस., ई.ई. सिंचाई (हिरण जल संसाधन) को तत्संबंध में निर्देश दिये।
17. **मतदाता सूची संशोधन बावत :-** निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों से मृत, स्थाई तौर पर अन्यत्र शिफ्ट हुए तथा डुप्लीकेट नाम वाले मतदाताओं के नाम हटाए जाने तथा नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की कार्यवाही नियमित रूप से संचालित की जाए। चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
18. **वर्ष 2017 के अंतर्गत मूंग उड़द खरीदी की शिकायतें :-** शासकीय समर्थन मूल्य पर प्राथमिक सहकारी समिति वर्ष 2017 के अंतर्गत मूंग उड़द की खरीदी किसानों से की गई थी। जिसकी शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं। ऐसे सभी किसान जिनके पास प्राथमिक सहकारी समिति की रसीदें मूंग उड़द विक्रय करने की हैं। उन सभी मूल रसीदों को उप पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय में जमा कराई जाये। इसके लिये आगामी 48 घंटे का समय निश्चित किया जाता है। इस अवधि में प्राप्त हो वाली रसीदों के पंजीयन की पावती किसानों को दी जाये। राजस्व विभाग की ओर से श्री पी.के. सेनगुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन को

✓

किसानों की मूंग, उड़द खरीदे के सत्यापन से संबंधित भुगतान हेतु अनुशंसा करने के लिये नामांकित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जबलपुर किसानों को विधिवत भुगतान सुनिश्चित करायेंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर फर्जी आवक अथवा फर्जी विक्रय पाये जाने पर प्रथम अपराधिक सूचना रिपोर्ट उप पंजीयक सहकारी संस्था के द्वारा दर्ज कराई जायेगी। आगामी टी.एल. के पूर्व शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाये। तदानुसार आदेश बैठक के दौरान जारी किये गये।

19. **शासकीय योजनाओं की उपलब्धिया एवं प्रचार-प्रसार :-** उप संचालक जनसंपर्क जबलपुर द्वारा अवगत कराया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक जिला अधिकारी को ट्वीटर एवं फेसबुक का अकाउंट खोलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट तथा सी.एम. ऑफिस के ब्लाग पर दी गई जानकारी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना है। तदानुसार सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये तथा कलेक्टर स्तर पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश श्री चित्रांशु जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस को दिये गये।

विभागवार सफलता की कहानियाँ जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाश में लाई जाये अपने-अपने विभाग के किये गये उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित किया जाकर विभाग का मेटर जनसंपर्क अधिकारी को नाम पद हस्ताक्षर से भेजे। यह विषय टी.एल. बैठक का एक स्थाई ऐजेंडा रहेगा। इसकी सतत् समीक्षा की जाये।

20. **सरकारी जमीन :-** सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री की गंभीर शिकायतें हो रही है। जिला पंजीयक ध्यान रखें की सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री न हो। सभी अनुविभागीय अधिकारियों को मॉनीटरिंग रखने तथा जनता को जागरूक करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जनता से अपील की जाती है कि सावधानी पूर्वक जमीन का क्रय-विक्रय किया जाये।

जनप्रतिनिधियों, कमिश्नर कार्यालय, लोकायुक्त तथा आर्थिक अपराध ब्यूरो, मानव अधिकार आयोग, हाईकोर्ट के प्रकरण तथा अन्य विभागों की शिकायतों एवं समय सीमा के प्रश्नों की विभागवार समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाई जाकर त्वरित निराकरण किया जाये।

उक्त निर्देशों के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

कलेक्टर  
जबलपुर

पृ.क्र/2071/अधीक्षक/टी.एल/2018

जबलपुर दिनांक 13 मार्च, 2018.

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
2. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर  
जबलपुर